बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।
अधिसूचना

पटना, दिनांक–.................................

संचिका संख्या–7/विविध–25/2019 ..../ बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के आलोक में वर्ष 2019–20 में प्रारंभ किए गए शिक्षक नियुक्ति की कार्रवाई के क्रम में प्रथम चक्र विभागीय अधिसूचना संख्या–621 दिनांक 03.07.2021 एवं द्वितीय चक्र विभागीय अधिसूचना संख्या–755 दिनांक 28.07.2021 में निहित निदेश के अनुरुप संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा पूर्ण की जा चुकी है।

2. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1239 दिनांक 17.11.2021 के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चक्र के कॉन्सिलिंग एवं चयन के पश्चात् शेष नियोजन इकाइयों के लिए कॉन्सिलिंग की तिथि दिनांक 14.12.2021 से दिनांक 22.12.2021 तक की तिथि निर्धारित की गयी थी। पंचायत समितियों के प्रमुख का चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं रहने के कारण उक्त समय–तालिका को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1357 दिनांक 11.12.2021 के द्वारा स्थगित किया गया।

3. वर्त्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित मुखिया के शपथग्रहण एवं पंचायत समिति के प्रमुख के निर्वाचन के लिए दिनांक 03.01.2022 तक की समय–सीमा निर्धारित की गयी है। उक्त क्रम में वर्त्तमान शिक्षक नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत तृतीय चक्र में कॉन्सिलिंग की तिथि एवं कॉन्सिलिंग स्थल निम्नरुपेण निर्धारित किया जाता है :–

क्र०सं०	नियोजन इकाई	कॉन्सिलिंग की तिथि	कॉन्सिलिंग के लिए निर्धारित स्थल
i.	नगर निकाय	17.01.2022	जिला मुख्यालय (सामाजिक विज्ञान विषय में वर्ग VI-VIII के लिए)
		18.01.2022	जिला मुख्यालय (गणित– विज्ञान एवं भाषा विषय में वर्ग VI-VIII के लिए)
		19.01.2022	जिला मुख्यालय (वर्ग I-V के लिए)
ii.	प्रखंड नियोजन इकाई	22.01.2022	जिला मुख्यालय (सामाजिक विज्ञान विषय में वर्ग VI-VIII के लिए)
		24.01.2022	जिला मुख्यालय (गणित– विज्ञान एवं भाषा विषय में वर्ग VI-VIII के लिए)
		25.01.2022	जिला मुख्यालय (वर्ग I-V के लिए)
iii.	पंचायत नियोजन इकाई	28.01.2022	प्रखंड मुख्यालय (वर्ग I-V के लिए)

4. तृतीय चक्र के अन्तर्गत जिन नियोजन इकाइयों में कॉन्सिलिंग की प्रक्रिया की जानी है, उन नियोजन इकाइयों में अन्तिम मेधा–सूची का प्रकाशन संबंधित जिले के NIC के वेबपोर्टल पर कॉन्सिलिंग की तिथि से एक सप्ताह पूर्व अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित कराएंगे कि संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा औपबंधिक मेधा–सूची एवं ससमय अंतिम मेधा–सूची जिले के NIC के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

5. यदि कॉन्सिलिंग की प्रक्रिया में किसी नियोजन इकाई द्वारा अनियमितता बरती जाती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे 24 घंटे के अन्दर जिला पदाधिकारी को इस सूचना से अवगत कराते हुए कॉन्सिलिंग रद्द करने की अनुशंसा करेंगे तथा संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक एवं दण्डात्मक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुशंसित करेंगे।

कॉन्सिलिंग की प्रक्रिया में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 621 दिनांक 03.07.2021 में उक्त के अतिरिक्त सभी प्रावधान यथावत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(संजय कुमार)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–7/विविध–25/2019................ पटना, दिनांक–....................................

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी महापौर,नगर निगम/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष नगर परिषद्/नगर पंचायत/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा विभाग)/सभी अध्यक्ष एवं सचिव, प्रखंड नियोजन इकाई/ सभी मुखिया, ग्राम पंचायत/सभी ग्राम पंचायत के सचिव/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–7/विविध–25/2019................ पटना, दिनांक–....................................

प्रतिलिपि :– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी सदस्य जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार/आप्त सचिव, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–7/विविध–25/2019...1384... पटना, दिनांक–...20/12/2021....

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/12/2021

अपर मुख्य सचिव